उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-44/2023/565302/60-1099/261/2023
लखनऊ::दिनांक:: 05 अक्टूबर,2023

कार्यालय-आदेश

श्री चन्द्र भूषण सिंह यादव, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर देहात सम्प्रति जनपद-सम्भल द्वारा कार्यालय की महिला एवं पुरूष कर्मचारियों के विरूद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने, खाली स्टाम्प पेपर पर दबाव बनाकर शिकायतकर्ताओं के हस्ताक्षर कराये जाने, घोर वित्तीय अनियमितता बरतने व फर्जी भुगतान के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के दृष्टिगत श्री यादव के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत एतद्द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाती है।

2- उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जॉच हेतु मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात (पदेन) को जॉच अधिकारी नामित किया जाता है। जॉच अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नगत प्रकरण की नियमानुसार जॉच पूर्ण करते हुये एक माह में जॉच आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

(अनामिका सिंह)
सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में अपचारी अधिकारी के विरूद्ध साक्ष्य सहित आरोप-पत्र का प्रारूप शासन को 02 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- जिलाधिकारी, कानपुर देहात/सम्भल।
3- मुख्य विकास अधिकारी/जॉच अधिकारी, कानपुर देहात।
4- श्री चन्द्र भूषण सिंह यादव, तत्कालीन जिला प्रोबेशन अधिकारी, कानपुर देहात सम्प्रति जनपद-सम्भल द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
5- गार्ड फाइल।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।